



**The Bihar Medical Service Institution and Person Protection Act,
2011**

Act 18 of 2011

Keyword(s):
Medical Service Institutions, Offender, Violence

Amendment appended: 12 of 2014

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 भाद्र 1933 (श0)
(सं0 पटना 511) पटना, बृहस्पतिवार, 15 सितम्बर 2011

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

15 सितम्बर 2011

सं0 एल0जी0-1-21/2011/लेज: 179—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 10 सितम्बर, 2011 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 18, 2011]

बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान और व्यक्ति सुरक्षा अधिनियम, 2011

प्रस्तावना।—बिहार चिकित्सा सेवा से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध हिंसा तथा बिहार राज्य के चिकित्सा सेवा संस्थानों की सम्पत्ति के नुकसान का निवारण एवं उससे संबंधित तथा आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।— (1) यह अधिनियम बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान और व्यक्ति सुरक्षा अधिनियम 2011 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ।—जबतक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(i) "चिकित्सा सेवा संस्थान" से अभिप्रेत है जैसे सभी संस्थान जो राज्य, केन्द्र या स्थानीय निकाय आदि के नियंत्रणाधीन हो या निजी अस्पताल, निजी नर्सिंग होम जहाँ बीमार व्यक्तियों का ईलाज होता हो या किसी बीमारी, क्षति या शारिरिक अथवा मानसिक अशक्तता के लिये आवास की सुविधा उपलब्ध कराता हो या ईलाज करता हो या दोनो कार्य करता हो, प्रसवशाला या आकक्षेप गृह सहित जनता को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता हो।

(ii) "चिकित्सा सेवा व्यक्ति" से अभिप्रेत है संस्थान में कार्यरत निम्नलिखित व्यक्ति:—

- (क) चिकित्सा सेवा संस्थान में कार्यरत पंजीकृत चिकित्सक (औपबंधिक रूप से पंजीकृत सहित);
- (ख) पंजीकृत परिचारिकाएँ;
- (ग) चिकित्सक छात्र;
- (घ) प्रशिक्षु परिचारिकाएँ;
- (ङ) चिकित्सा सेवा संस्थान में नियोजित एवं कार्यरत पारा मेडिकल कर्मचारी;
- (च) अन्य स्टाफ;
- (छ) चिकित्सा सेवा संस्थान के परिसर के भीतर उसके कार्य में सहायक अन्य स्थापना ।

(iii) "अभियुक्त" से अभिप्रेत है जैसे सभी व्यक्ति जो स्वयं इस अधिनियम के अधीन हिंसा करता हो या करने का प्रयास करता हो या हिंसा करने को दुष्प्रेरित या उद्दीप्त करता हो ।

(iv) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार ।

(v) "हिंसा" से अभिप्रेत है चिकित्सा सेवा संस्थानों में किसी भी चिकित्सा सेवा व्यक्ति को कर्त्तव्यों के निर्वाहन में कोई हानि, क्षति अथवा जीवन संकटापन्न करना, अथवा अभित्रास, अवरोध या बाधा देने अथवा चिकित्सा सेवा संस्थानों में किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की संपत्ति को नुकसान करने का कार्यकलाप ।

3. अपराध ।—चिकित्सा सेवा व्यक्तियों के प्रति हिंसा अथवा चिकित्सा सेवा संस्थानों में किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के नुकसान करने का कोई कार्य इस अधिनियम के अधीन एक अपराध होगा :

परन्तु प्रत्येक चिकित्सा सेवा संस्थान अथवा व्यक्ति, मरीजों के प्रति संवेदनशील व्यवहार के साथ सभी विहित उपायो/मानकों को अंगीकार करते हुए, मरीजों का ससमय उपचार सुनिश्चित करेगा । मरीजों के साथ किसी के द्वारा कोई लापरवाही नहीं की जायगी :

परन्तु और कि प्रत्येक चिकित्सा सेवा संस्थान एवं व्यक्ति यह सुनिश्चित करेंगे कि विहित सन्धियम और प्रक्रिया के अनुसार मरीजों का उपचार किया जायगा :

परन्तु और आगे कि प्रत्येक चिकित्सा सेवा संस्थान एवं व्यक्ति उस मरीज को किसी अन्य अस्पताल में रेफर करने के कारणों को समझाया/स्पष्ट किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा मरीज के चिकित्सीय पुर्जा में उसकी प्रविष्टि भी करेंगे ।

4. शास्ति ।—कोई भी अभियुक्त जो धारा-3 में वर्णित कोई अपराध करता है, अधिकतम 3 (तीन) वर्षों की कारावास की सजा और अधिकतम 50 हजार (पचास हजार) रुपये तक जुर्माने से दंडित किया जायेगा अथवा भारतीय दण्ड संहिता के अधीन कार्रवाई की जायेगी ।

5. अपराध का संज्ञान ।—धारा-3 के अधीन किया गया कोई अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानतीय होगा ।

6. अनुसंधान ।—इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामले का अनुसंधान पुलिस उपाधीक्षक से अन्यून पंक्ति के पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं किया जायगा ।

7. संपत्ति को हुए नुकसान के लिए हानि की वसूली ।—(1) धारा-4 में विनिर्दिष्ट सजा के अतिरिक्त, अभियुक्त नुकसानग्रस्त चिकित्सा उपकरण के क्रय मूल्य की राशि की दोगुनी तथा अभियुक्त का विचारण करने वाले न्यायालय द्वारा यथावधारित सम्पत्ति को पहुँचायी गयी हानि की दोगुनी शास्ति का दायी होगा ।

(2) यदि अभियुक्त उप-धारा-(1) के दण्ड की राशि का भुगतान नहीं करता है तो उक्त रकम को बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के अधीन वसूल किया जायेगा मानो वह उस पर भू-राजस्व का बकाया हो ।

8. अधिनियम का किसी विधि के अल्पीकरण में न होना ।—अधिनियम के प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे तथा अल्पीकरण में नहीं होंगे ।

9. नियम बनाने की शक्ति।—इस अधिनियम के पूर्ववर्ती प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

15 सितम्बर 2011

सं० एल०जी०-1-21/2011/180 लेज.—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 सितम्बर, 2011 को अनुमत बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान और व्यक्ति सुरक्षा और व्यक्ति सुरक्षा अधिनियम, 2011 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समक्षा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 18, 2011]

Bihar Medical Service Institution and Person Protection Act, 2011

AN
ACT

Preamble:—To prevent violence against persons related to the Bihar Medical service and damage to property of the Medical Service Institutions of the State of Bihar and for matters connected there with and incidental there to.

BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty two year of the Republic of India as follows:-

1. *Short title, extent and commencement.*—(1) This Act may be called the Bihar Medical Service Institution and Person Protection Act, 2011.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. *Definitions.*—In this Act, unless the context otherwise requires:-

(i) “Medical Service Institutions” means all Institutions providing Medicare to people which are under the control of State or Central Government or local bodies etc. including any private hospital having facilities for treatment of the sick and any private nursing home used or intended to be used for the reception or accommodation for persons suffering from any sickness, injury or infirmity whether of body or mind and providing of treatment or nursing or both of them and include the maternity home or convulsion home etc.

(ii) Medical service person means the following persons working in Medicare service institutions:-

- (a) Registered Medical Practitioners, working in Medical Service Institutions (including those having provisional registration);
- (b) Registered Nurses;
- (c) Medical Students;
- (d) Nursing Nurses;
- (e) Para Medical workers employed and working in Medical Service Institutions;
- (f) Other Staff;
- (g) Other establishments within the premises of the Medical Service Institutions supporting its working.

(iii) “Offender” means all such person who either by himself commits or attempts to commit or abets or, incites the commission of violence under this Act.

(iv) “State Government” shall mean Government of Bihar,

(v) “Violence” means activities of causing any harm, injury or endangering the life or intimidation, obstruction or hindrance to any Medical service person in discharge of duty or activities causing damage to any property in Medical Service Institutions.

3. *Offence.*—Any act of violence against Medical service persons or damage to property in Medical service institutions shall amount to an offence under this Act:

Provided that every Medical Service Institution and person shall ensure timely treatment of the patients by adopting all prescribed measures / standards with sensitive behavior to the patient. No negligence is caused to the patient by any one:

Provided further that every Medical Service Institution and person shall ensure that treatment of the patients are being done according to prescribed norms and procedures:

Provided further and that every Medical Service Institution and person shall ensure that reasons for referring the patient to another hospital are made understood / clarified to him and the same are incorporated on the prescription of the patient.

4. *Penalty.*—Any offender, who commits an offence as described under section-3, shall be punished with imprisonment for a period of three years and with fine which may extend to fifty thousand rupees and / or action will be taken under Indian Penal Code.

5. *Cognizance of offence.*—Any offence committed under section 3 shall be cognizable and non-bailable.

6. *Investigation.*—Case registered under this Act shall not be investigated by a Police Officer below the rank of Dy. Superintendent of Police .

7. *Recovery of loss for the damage caused to be property.*—(1) In addition to the punishment specified in section-4, the offender shall be liable to a penalty of twice the amount of purchase price of medical equipment damaged and twice the loss caused to the property as determined by the court trying the offender.

(2) If the offender does not pay the penal amount under sub-section (1), the said sum shall be recovered under the provisions of the Bihar & Orissa Public Demands Recovery Act as if it were arrears of land revenue due from him.

8. *Act not in derogation of any other law.*—The provisions of the Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law, for the time being in force.

9. *Rule Making Power.*—Without prejudice to the foregoing provisions of this Act, the State Government may make Rules for carrying out purposes of this Act.

By order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 511-571+400-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 श्रावण 1936 (श0)
(सं0 पटना 688) पटना, वृहस्पतिवार, 21 अगस्त 2014

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

21 अगस्त 2014

सं0 एल0जी0-1-07/2014/लेज: 99 ।- बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 13 अगस्त, 2014 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव।

बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान और व्यक्ति सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2014

[बिहार अधिनियम 12, 2014]

बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान और व्यक्ति सुरक्षा अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 18, 2011) में संशोधन के लिए अधिनियम ।

प्रस्तावना : चूँकि बिहार चिकित्सा सेवा से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध हिंसा तथा बिहार राज्य के चिकित्सा सेवा संस्थानों की सम्पत्ति के नुकसान का निवारण एवं उससे संबंधित आनुषंगिक मामलों के लिए 2011 का अधिनियम बनाया गया था;

और, चूँकि, उक्त अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसमें संशोधन अपेक्षित है;

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।** - (1) यह अधिनियम बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान और व्यक्ति सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा ।

2. **बिहार अधिनियम 18, 2011 की धारा-3 में संशोधन ।** - उक्त अधिनियम, 2011 की धारा-3 की द्वितीय पंक्ति में शब्द "होगा" के बाद चिह्नांकन कॉलन ":", को पूर्णविराम "।" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा और धारा-3 के सभी परन्तुक एतद् द्वारा विलोपित किये जायेंगे ।

3. **बिहार अधिनियम 18, 2011 में नई धारा-3क का जोड़ा जाना ।** - उक्त अधिनियम, 2011 की धारा-3 के बाद निम्नलिखित एक नई धारा-3क जोड़ी जायेगी :-

"3क चिकित्सा सेवा संस्थान एवं व्यक्ति के विरुद्ध लापरवाही का आरोप । - चिकित्सा सेवा संस्थान एवं व्यक्ति के विरुद्ध मरीजों के उपचार में लापरवाही की शिकायत प्राप्त होने पर, राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित जिला पदाधिकारी को, उस विषय की जाँच-पड़ताल सुयोग्य चिकित्सकों की कमिटी द्वारा कराने एवं जाँच-पड़ताल के परिणाम के आधार पर, यथोचित कार्रवाई करने की शक्ति होगी ।"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव।

21 अगस्त 2014

सं० एल०जी०-1-07/2014/100/लेजः।-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 13 अगस्त 2014 को अनुमत **बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान और व्यक्ति सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2014** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव।

**BIHAR MEDICAL SERVICE INSTITUTION AND PERSON PROTECTION
(AMENDMENT) ACT, 2014**

[Bihar Act 12, 2014]

AN
ACT

To amend the Bihar Medical Service Institution and Person Protection Act, 2011 (Bihar Act 18, 2011)

Preamble.- WHEREAS, the Bihar Medical service Institution and person Protection Act of 2011 was framed for prevention of violence against the persons concerned with Bihar Medical Service as well as against damage of properties of Medical Service Institutions of the Bihar State and matters incidental there to;

AND, WHEREAS, it is required to amend the said Act to make it more effective;

BE it enacted by the State Legislature of Bihar in the sixty fifth year of the Republic of India as follows :-

1. Short title, extent and commencement. – (1) This Act may be called the Bihar Medical Service Institution and Person Protection (Amendment) Act, 2014.

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Amendment in Section-3A in the Bihar Act 18, 2011.- In the second line of Section-3 of the said Act, 2011 the punctuation column ‘:’ shall be substituted by full stop ‘.’, and all provisos of section-3 shall be here by deleted,

3. Addition of new Section-3A in the Bihar Act 18, 2011.- following new section- 3A shall be added after section-3 of the said Act, 2011:-

“3-A. Allegation of negligence against Medical Service Institution and Person.- On receiving complain of negligence in treatment of patients against Medical Service Institution and Person, the State Government or the concerned District Magistrate shall have powers to get the matter enquired by a committee of able Doctors and take action on the basis of result of enquiry. ”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 688-571+300-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>